न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – हरि मोहन मीना, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 03/2010 (निगरानी)

जीसीएमएस नं0 2010/00019

उप पंजीयक प्रथम कोटा जिला कोटा–राज0

–निगराकार

बनाम

1. श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जाति महाजन निवासी जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल मुकाम सी–60 इन्द्र विहार कोटा
3. सरपंच ग्राम पंचायत रानपुर पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा
4. ग्राम सचिव ग्राम पंचायत रानपुर पंचायत समिति लाडपुरा

– गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बाबत आबादी भूमि विक्रय विलेख निरस्त कराने

उपस्थित :–

1. श्री बृजराज सिंह, राजकीय अभिभाषक निगराकार
2. श्री चन्द्र मोहन शर्मा, अभिभाषक गैर निगराकार

निर्णय

दिनांक 20.06.2022

1 निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत रानपुर पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा मिसल सं0 137 फैसला दिनांक 15.5.1964 को जारी पट्टे की भूमि को विक्रय करने का दस्तावेज उप पंजीयक प्रथम कोटा में दिनांक 21.7.2008 को पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 1009 पृष्ठ सं0 183 क्रम सं0 2008002957 पर पंजीबद्व करवाया गया । उक्त पट्टा विनोद कुमार पुत्र श्री नन्दलाल महाजन के पक्ष में दिनांक 15.5.64 को फैसला करना बताया है तथा विनोद कुमार द्वारा दिनांक 21.7.2008 को निष्पादित विक्रय पत्र में अपनी उम्र 45 वर्ष बताई है । इस आधार पर पंचायत द्वारा श्री विनोद कुमार को एक वर्ष की उम्र में पट्टा जारी कर दिया बताते हुए उक्त पट्टे को फर्जी मानते हुए उप पंजीयक प्रथम कोटा द्वारा यह निगरानी दिनांक 09.12.2009 को पेश की गई है ।

2 निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार को जरिये सम्मन तलब किया गया । गैर निगराकार नं0 1 की ओर से श्री चन्द्र मोहन शर्मा अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, गैर निगराकार नं0 2 व 3 को नोटिस बाद तामिल प्राप्त किन्तु उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलबी हेतु पत्र जारी किये गये किन्तु ग्राम पंचायत रानपुर अब नगर निगम में आ जाने से रेकार्ड निगम में होना बताया तथा नगर निगम द्वारा रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण की अवधि को ध्यान में

जिला कलेक्टर
कोटा

रखते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर निगराकार राजकीय अभिभाषक एवं गैर निगराकार नं0 1 की बहस सुनी गई ।

3 निगराकार राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रतिपक्षी कम सं0 1 द्वारा प्रतिपक्षी सं0 2 ग्राम पंचायत रानपुर पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा मिसल सं0 137 फैसल दिनांक 15.5.1964 को जारी पट्टे की भूमि को विकय करने का दस्तावेज प्रार्थी सं0 1 के कार्यालय में दिनांक 21.7.2008 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 1009 पृष्ठ सं0 183 कम सं0 2008002957 पर पंजीबद्व करवाया गया । इस विकय पत्र में प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा उक्त पट्टे की भूमि के एवज 10,00,000/– विकय की गई । जांच में यह तथ्य सामने आया कि यह विकय पत्र आबादी भूमि का विकय विलेख जो कि प्रतिपक्षी सं0 2 सरपंच ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा मि0नं0 137 फैसला दिनांक 15.5.1964 के अनुसार दिनांक 29.3.1964 को प्रतिपक्षी सं0 1 के नाम जारी किया था, पूर्णतया दोषपूर्ण है । उक्त पट्टा विनोद कुमार पुत्र श्री नन्दलाल महाजन के पक्ष में दिनांक 15.5.64 को फैसला करना बताया है तथा विनोद कुमार द्वारा दिनांक 21.7.2008 को निष्पादित विकय पत्र में अपनी उम्र 45 वर्ष बताई है । इस आधार पर पंचायत द्वारा श्री विनोद कुमार को एक वर्ष की उम्र में पट्टा जारी कर दिया गया जो फर्जी साबित करता है । उक्त पट्टे पर सरपंच किशन सिंह के हस्ताक्षर की तिथि 29.3.1964 दर्शाइ है तथा पंचायत के निर्णय की तिथि 29.3.1964 के पश्चात की 15.5.1964 बताई गई है । अतः पंचायत के निर्णय से पूर्व ही पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर इसे फर्जी साबित करते है । पट्टे पर केता के हस्ताक्षर नहीं, विकास अधिकारी के द्वारा प्रमाणित नहीं, पट्टे पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं, उक्त पट्टे में विकीत भूमि किस खसरा नम्बर में अवस्थित है उल्लेखित नहीं । प्रतिपक्षी सं0 2 द्वारा प्रतिपक्षी सं0 1 के पक्ष में जारी किये गये उक्त आबादी भूमि के विकय विलेख को उसके फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण जारी होने के कारण निरस्त किया जाना आवश्यक है । ताकि प्रतिपक्षी सं0 1 को इस मिथ्या दस्तावेज का दुरूपयोग करने से रोका जा सकें । अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा जारी किये गये उक्त आबादी भूमि के विकय विलेख को निरस्त किया जावें तथा इस बाबत प्रतिपक्षी कम सं0 2 व 3 को समुचित आदेश जारी किया जावें ।

4 गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी का जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रस्तुत निगरानी अक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत होने से मेन्टेनेबल नहीं है । उप पंजीयक को 50 वर्ष से अधिक समय से पूर्व जारी विकय विलेख के संबंध में निगरानी करने का अधिकार नहीं है । प्रस्तुत निगरानी में विवादित विकय विलेख /पट्टा प्रतिपक्षी कम 1 के स्वर्गीय पिता द्वारा प्रतिपक्षी कम 1 के नाम पर सार्वजनिक नीलामी में कय की गई भूमि का जारी किया हुआ है जिसकी विकय राशि विधिवत ग्राम पंचायत रानपुर में जमा हो जाने के पश्चात उक्त पट्टा जारी किया गया है किसी भी विधि द्वारा उसके संरक्षक द्वारा नाबालिग के नाम पर सम्पत्ति कय करना प्रतिबंधित नहीं है । इस प्रकार उक्त विकय विलेख पूर्ण रूप से वैध है । प्रस्तुत निगरानी में विवादित विकय विलेख / पट्टे से विकय किया गया भूखण्ड प्रार्थी द्वारा उस भूखण्ड के केता के पक्ष में विकय पत्र विधिवत पंजकृत कर लौटाने के पश्चात पंचायत द्वारा नीलामी से विकीत भूमि का केता के पक्ष में जारी विकय विलेख निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । विकय विलेख में वर्णित भूखण्ड आगे विकय किया जा चुका है । इस प्रकार भूखण्ड का वर्तमान स्वामी

जिला कलेक्टर
कोटा

अर्थात केता इस कार्यवाही का आवश्यक पक्षकार है तथा भूखण्ड के केता अर्थात वर्तमान स्वामी को सुने बिना उके पीठ पीछे उसके स्वामित्व की सम्पत्ति के संबंध में की गई कोई भी कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के विपरीत है । भूखण्ड का केता सद्भाविक केता है जिसे अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । प्रार्थी का भूखण्ड नीलामी में विक्रय किया गया है जिसे बिना किसी विधिक व ठोस आधार के निरस्त नहीं किया जा सकता है । प्रार्थी के स्वयं के कार्य भी सद्भाविक नहीं है इसी कारण भूखण्ड के केता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र का पंजीयन करने के पश्चात यह कार्यवाही की गई है । अतः प्रार्थी की निगरानी को सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

5 हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह निगरानी प्रतिपक्षी सं0 2 सरपंच ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा मि0नं0 137 फैसला दिनांक 15.5.1964 के अनुसार दिनांक 29.3.1964 को प्रतिपक्षी सं0 1 के नाम जारी किया था, जिसका उप पंजीयक द्वारा दिनांक 21.7.2008 रजिस्टर्ड करने के बाद पट्टा विलेख पर सरपंच किशन सिंह के हस्ताक्षर निर्णय की तिथि 29.3.1964 के पश्चात की 15.5.1964 बताई होने, पट्टे पर केता के हस्ताक्षर नहीं होने, विकास अधिकारी के द्वारा प्रमाणित नहीं होने, पट्टे पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं होने, उक्त पट्टे में विक्रीत भूमि किस खसरा नम्बर में अवस्थित है उल्लेखित नहीं होने आदि तथ्यों का उल्लेख करते हुए । प्रतिपक्षी सं0 2 द्वारा प्रतिपक्षी सं0 1 के पक्ष में जारी किये गये उक्त आबादी भूमि के विक्रय विलेख को फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण जारी होना मानते हुए यह निगरानी प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा जारी उक्त आबादी भूमि के विक्रय विलेख को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है । इसके विपरीत वकील गैर निगराकार नं0 1 द्वारा मुख्यरूप से अपनी बहस में कथन किया है कि यह निगरानी अक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है । उप पंजीयक को 50 वर्ष से अधिक समय से पूर्व जारी विक्रय विलेख के संबंध में निगरानी करने का अधिकार नहीं है । पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने के लिए यह न्यायालय सक्षम भी नहीं । वकील गैर निगराकार के कथनों से हम सहमत है कि यह निगरानी पंचायतीराज नियमों में यह अधिकार पंचायतीराज के कर्मीयों को ही है जो सक्षम स्तर पर प्रचलित प्रावधान के अनुसार अपील/पट्टा विलेख निरस्ती के लिए सक्षम थे परन्तु यहां सब रजिस्ट्रार ने पट्टा विलेख निरस्ती हेतु प्रकरण पेश किया है जिसकी अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है । संबंधित विभाग सक्षम स्तर पर इस संदर्भ में पट्टा निरीस्तीकरण की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है ।

6 उपरोक्त विवेचनानुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । संबंधित विभाग सक्षम स्तर पर इस संदर्भ में पंजीकृत पट्टा विलेख निरीस्तीकरण की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है ।

7 निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा